

## राजकीय विद्यालयों के सरप्लस शिक्षकों की आनलाइन आवेदन प्रणाली

### **(i) आनलाइन समायोजन हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश :-**

- 1- केवल वही शिक्षक/शिक्षिका ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, जिनका नाम संबंधित जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक/संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा घोषित सरप्लस अध्यापकों की सूची में है। सूची के अतिरिक्त कोई भी शिक्षक आवेदन नहीं करेगा।
- 2-आवेदक अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। आनलाइन आवेदन पत्र के लिए पासवर्ड स्वयं सृजित करें। आवेदन पत्र पूर्ण करके प्रिन्ट आउट निकालकर स्वयं समस्त प्रविष्टियों की भली भांति जांच कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को आनलाइन फाइनल सबमिट करें।
- 3- अभ्यर्थी सर्वप्रथम वेबसाइट [upsecggtt.upsdc.gov.in](http://upsecggtt.upsdc.gov.in) क्लिक करेगा जिससे वेबसाइट खुलेगी।
- 4-उक्त वेबसाइट खुलने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय आनलाइन समायोजन/ स्थानान्तरण प्रणाली प्रदर्शित होगी।
- 5-आवेदक द्वारा उक्त पेज खोलने के पश्चात्, आवेदन पत्र को दो चरणों में पूर्ण करेगा।
- 6- आवेदक प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन करेगा।
- 7- आवेदक रजिस्ट्रेशन हेतु कार्यरत जनपद, कार्यरत विद्यालय का नाम तथा अपने नाम का चयन करेगा तथा अपनी जन्मतिथि अंकित करेगा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक का रजिस्ट्रेशन नम्बर स्वतः जनरेट हो जाएगा।
- 8- आवेदक स्वतः जनरेट रजिस्ट्रेशन नम्बर को नोट करेगा।
- 9- आवेदक प्राप्त पंजीकरण संख्या से लॉग इन करेगा तथा आवेदक की जन्म तिथि ही पासवर्ड रहेगा।
- 10- इसके पश्चात् पासवर्ड सेट करने हेतु एक पेज खुलेगा। प्रथम बार आवेदन हेतु लॉग इन करने के उपरान्त आवेदक को अपना पासवर्ड सेट करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड को भली भांति नोट करके सुरक्षित रख लें। इस प्रक्रिया में स्वनिर्मित पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड का उपयोग आगे की प्रक्रिया में होगा।
- 11- पासवर्ड 6 से 12 कैरेक्टर का होगा जिसमें कम से कम एक अंक, एक अंग्रेजी का बड़ा अक्षर, एक स्पेशल कैरेक्टर होगा।
- 12- उपरोक्त क्रमांक-7 से 11 तक की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात्, द्वितीय चरण प्रारम्भ होगा।
- 13-द्वितीय चरण में आवेदक के समायोजन हेतु आवेदन पत्र में पूर्ण की जाने वाली सम्पूर्ण प्रविष्टियां प्रदर्शित होंगी, जिसे आवेदक को स्वयं पूर्ण किया जाना होगा।

14—आवेदन पत्र के क्रमांक—18 में प्रदर्शित मानक बिन्दुओं में अभ्यर्थी को विकल्प चुनना है जो एक से अधिक भी हो सकते हैं ।

15— अधिक गुणांक प्राप्त आवेदक को समायोजन हेतु इच्छित विद्यालय में तैनाती दिये जाने में वरीयता दी जायेगी ।

16— एक से अधिक आवेदकों का गुणांक समान होने पर अधिकतम आयु वाले को वरीयता दी जायेगी यदि आयु समान है तो अपने संवर्ग में वरिष्ठ शिक्षक को वरीयता दी जायेगी ।

17—आवेदक द्वारा चुने गये मानक बिन्दु के विकल्प के संबंध में यथा आवश्यकता, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर अपने प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को दो प्रतियों में उपलब्ध कराना होगा ।

18— आवेदन पत्र के क्रमांक—21 पर आवेदक को यह अधिकार होगा कि वह दिये गये रिक्त पद वाले विद्यालयों में से अपने विषय, संवर्ग तथा पद नाम के अनुरूप तीन इच्छित विद्यालयों के विकल्प के अनुसार आवेदन कर सकता है । अतः आवेदक अपने इच्छित जनपद के इच्छित विद्यालय में दी गयी सूची के अनुसार अपना तीन विकल्प पर विकल्प कर सकता है ।

19— आवेदन पत्र के अन्त में आवेदक अपना हस्ताक्षर (20kb size+format jpg./jpeg) तथा फोटो (20kb size+format jpg./jpeg) स्कैन करके अपलोड करेगा ।

20— आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात् आवेदक अपनी समस्त प्रविष्टियों को पुनः एक बार भली भांति जांच लें । तत्पश्चात् ही अपने आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करें ।

21— फाइनल सबमिट करने के पश्चात् किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं हो पायेगा ।

22— आवेदक द्वारा आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने के पश्चात् पूर्ण किये गये आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट तीन प्रतियों में निकाला जायेगा ।

23— प्रिन्ट आउट की दो प्रतियां निर्धारित तिथि तक प्रधानाचार्य को उपलब्ध कराना होगा तथा एक प्रति आवेदक अपने पास सुरक्षित रखेगा ।

24—सरप्लस शिक्षक/शिक्षिका यदि निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर समायोजन के विकल्प हेतु आवेदन नहीं करता है तो यह मान लिया जाएगा कि सरप्लस शिक्षक/शिक्षिका समायोजन के विकल्प हेतु आवेदन करने का इच्छुक नहीं है, तदनुसार शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार उसे प्रदेश के किसी भी विद्यालय में समायोजित कर दिया जाएगा ।

## **(ii) प्रधानाचार्यों के लिए आवश्यक निर्देश :-**

1—आवेदक द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात् पोर्टल पर प्रधानाचार्य को अपना पंजीकरण कराना होगा ।

2— पंजीकरण में प्रधानाचार्य अपने जनपद का नाम, विद्यालय का प्रकार, विद्यालय का नाम तथा प्रधानाचार्य का नाम एवं मोबाइल नम्बर अंकित करेगा ।

3- प्रधानाचार्य द्वारा उक्त प्रविष्टियां पूर्ण करने के पश्चात् बाक्स के ऊपर प्रदर्शित कोड को बाक्स में टाइप करना होगा तत्पश्चात् सबमिट करना होगा, रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के उपरान्त प्रधानाचार्य को लागइन हेतु पासवर्ड आटो जनरेट हो जायेगा।

4- प्रधानाचार्य आटो जनरेट पासवर्ड को नोट कर लेंगे तत्पश्चात् लॉगइन करेंगे।

5- लॉगइन में प्रधानाचार्य अपने जनपद का नाम, विद्यालय का प्रकार, विद्यालय का नाम, आटो जनरेट पासवर्ड अंकित करेंगे तथा बाक्स के ऊपर प्रदर्शित कोड को बाक्स में टाइप करने के तत्पश्चात् लॉगइन विद पासवर्ड बटन पर क्लिक करेंगे।

6-लॉगइन विद पासवर्ड बटन पर क्लिक करने के उपरान्त लागइन हेतु पासवर्ड बदलना होगा जिसमें उनको अपना नवीन पासवर्ड डालना होगा तथा बाक्स के ऊपर प्रदर्शित कोड को बाक्स में टाइप करने के तत्पश्चात् सबमिट करेंगे।

7- पासवर्ड 6 से 12 कैरेक्टर का होगा जिसमें कम से कम एक अंक, एक अंग्रेजी का बड़ा अक्षर, एक स्पेशल कैरेक्टर होगा।

8- तत्पश्चात् प्रधानाचार्य को पुनः लॉगइन करना होगा जिसमें प्रधानाचार्य को अपना डिजिटल सिग्नेचर डालना होगा जो प्रथम बार डालने पर बेवसाइड पर स्वतः सेव हो जायेगा।

9- डिजिटल सिग्नेचर सेव करने के लिए Internet Explorer(IE) Version 9 Plus होना चाहिए।

10-आवेदक द्वारा आनलाइन आवेदन करने के पश्चात् प्रधानाचार्य को यह दायित्व होगा कि वह आवेदन पत्र को शासनादेश संख्या -779/15-2-2017-552/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निहित प्राविधानानुसार परीक्षणोंपरान्त पोर्टल पर निर्धारित तिथि तक आनलाइन ही अपने जिला विद्यालय निरीक्षक को अग्रसारित करे।

11- संबंधित प्रधानाचार्य आवेदक से आनलाइन आवेदन के प्रिन्ट आउट की दो प्रतियां समस्त संलग्नकों सहित प्राप्त करेंगे तथा आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त प्रविष्टियों को उसके मूल सेवा अभिलेखों से भली भांति मिलान करने के उपरान्त ही पोर्टल पर अग्रसारित करेंगे।

12- आवेदक द्वारा क्रमांक-18 में प्रदर्शित मानक विन्दुओं में से यदि कोई ऐसा विकल्प चुना है जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तो प्रधानाचार्य उसे दो प्रतियों में प्राप्त करेंगे।

13- यदि निर्धारित तिथि तक प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या द्वारा आनलाइन आवेदन अग्रसारित नहीं किया जाता है अथवा अनावश्यक बाधा पहुँचाई जाती है, तो यह समझा जाएगा कि शासनादेश का अनुपालन कराने में वह इच्छुक नहीं है। इसके लिए बाध्य होकर विभाग को उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी पड़ेगी।

### **(iii) जिला विद्यालय निरीक्षक के लिए आवश्यक निर्देश**

1- जिला विद्यालय निरीक्षक को सर्वप्रथम वेबसाइट पर लागइन करना होगा।

2- लागइन हेतु जनपद का नाम एवं एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध कराया गया पासवर्ड डालना होगा।

3- पहली बार लागइन करने के पश्चात जिला विद्यालय निरीक्षक को अपना पासवर्ड बदलना होगा जिसमें उनको नवीन पासवर्ड डालना होगा जो 6 से 12 कैरेक्टर का होगा जिसमें कम से कम एक अंक, एक अंग्रेजी का बड़ा अक्षर, एक स्पेशल कैरेक्टर होगा।

4- पासवर्ड परिवर्तन के उपरान्त जिला विद्यालय निरीक्षक को वेबसाइट पर अपना डिजिटल सिग्नेचर डालना होगा जो प्रथम बार डालने के पश्चात स्वतः सेव हो जाएगा।

5- डिजिटल सिग्नेचर सेव करने के लिए Internet Explorer(IE) Version 9 Plus होना चाहिए।

6- जिला विद्यालय निरीक्षक लागइन आदि प्रक्रिया पूर्ण करने के फलस्वरूप अपने जनपद के प्रधानाचार्यो द्वारा अग्रसारित सरप्लस शिक्षक/शिक्षिका के आनलाइन आवेदनों को शासनादेश संख्या -779/15-2-2017-552/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निहित प्राविधानानुसार परीक्षणोपरान्त निर्धारित तिथि तक आनलाइन पोर्टल पर अग्रसारित करेंगे।

7- जिला विद्यालय निरीक्षक आवेदनों को आनलाइन अग्रसारित करने से पूर्व संबंधित प्रधानाचार्य से आवेदक द्वारा उपलब्ध करायी गयी आनलाइन आवेदन की एक प्रति संलग्नक सहित तथा आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश के क्रमांक-18 में प्रदर्शित मानक विन्दुओं में से आवेदक ने यदि कोई ऐसा विकल्प चुना है, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, तो उसकी भी एक प्रति प्राप्त करेंगे।

8- जिला विद्यालय निरीक्षक सरप्लस शिक्षकों की आनलाइन आवेदन प्रणाली की प्रतिदिन समीक्षा करेंगे तथा ई-मेल के माध्यम से प्रतिदिन सूचना अपने संयुक्त शिक्षा निदेशक को प्रेषित करेंगे।

9- यदि निर्धारित तिथि तक जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आनलाइन आवेदन अग्रसारित नहीं किया जाता है अथवा अनावश्यक बाधा पहुँचाई जाती है, तो यह समझा जाएगा कि शासनादेश का अनुपालन कराने में वह इच्छुक नहीं है। इसके लिए बाध्य होकर विभाग को उनके विरुद्ध अनशासनात्मक कार्यवाही करनी पड़ेगी।

#### **(iv) मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के लिए आवश्यक निर्देश**

1- सरप्लस शिक्षकों की आनलाइन आवेदन प्रणाली की सम्पूर्ण प्रक्रिया का अपने मण्डल में शासनादेश संख्या -779/15-2-2017-552/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निहित प्रक्रिया का प्रतिदिन अनुश्रवण करेंगे तथा।

2- संयुक्त शिक्षा निदेशक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सरप्लस अध्यापकों का आनलाइन आवेदन ससमय पूर्ण करवाएंगे।

3- प्रगति आख्या से प्रतिदिन शिक्षा निदेशक (मा0) को ई-मेल के माध्यम से अवगत करायेंगे।